फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

पी0एन0बी0 शाखा धौलपुर सिटी बनाम श्रीराम मसाला उद्योग बगैरा

किस्म मुकदमाः—अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 47 सन् 2019

RCMS No. 2019/00086

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
22.10.19	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री किशोर चिलाना पंजाब नेशनल बैंक शाखा धौलपुर सिटी ने ऋणी/बंधक कर्त्ता श्रीराम मसाला उद्योग के पार्टनर संख्याः— 1. राकेश कुमार पुत्र हाकिमसिंह ग्राम फिरोजपुर धौलपुर 2. जयवीरसिंह पुत्र सुमेरसिंह ग्राम जिरोली ओड़ेला रोड़ धौलपुर, 3. हाकिमसिंह पुत्र शंकरसिंह निवासी लोधी बस्ती फिरोजपुर धौलपुर के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 04.02.2017 को सी0सी0 रूपये 35,00,000/— व ट्रम रूपये 60,00,000/— रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः— प्लांट, स्टॉक एवं मशीनरी श्रीराम मसाला उद्योग भूमि एवं भवन, प्लॉट नं0 28 ए और 29 ए, सुरक्षा विहार कॉलोनी ऑड़ेला रोड़ धौलपुर राज0, एडीएमएन 600 स्क्वायर यार्ड, तहसील एवं जिला धौलपुर में स्थित है, जो कि श्री जयवीर सिंह के नाम से है। जिसके हदूदअरबा निम्न प्रकार हैः— पूर्व में रास्ता 30 फीट, पश्चिम में प्लॉट नं0 30, उत्तर में मुख्य रास्ता, दक्षिण में प्लॉट नं0 40 व 41 है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 31.07.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 02.08.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 94,19,091.06/— रूपये मात्र दिनांक 31.07.2019 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत	689-91 23/10/19

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी प्लांट, स्टॉक एवं मशीनरी श्रीराम मसाला उद्योग भूमि एवं भवन, प्लॉट नं0 28 ए और 29 ए, सुरक्षा विहार कॉलोनी ऑड़ेला रोड़ धौलपुर राज0, एडीएमएन 600 स्क्वायर यार्ड, तहसील एवं जिला धौलपुर जो कि श्री जयवीर सिंह के नाम से है। जिसके हदूदअरबा निम्न प्रकार है:– पूर्व में रास्ता 30 फीट, पश्चिम में प्लॉट नं0 30, उत्तर में मुख्य रास्ता, दक्षिण में प्लॉट नं0 40 व 41 है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर